संख्या-93/2017/आर-987/26-3-2017-4(56)/96टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 जून 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 में केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष 05 माह हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-22/12/ज.जा.वि./के.प्रो./2017-18, दिनांक-13.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2225-02-796-01-0101-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की पूर्व से राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि रूपया-406.91 लाख में से लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह हेतु कुल रूपया-167.00 लाख (रूपये एक करोड़ सरसठ लाख मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि से योजनान्तर्गत गत वर्ष 2015-16 के पात्र छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ का होगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग कर लेने पर निदेशक, जनजाति विकास द्वारा भौतिक प्रगति के साथ निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद, शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति (के.100 प्रति./रा0 प्रति.)-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-93/2017/आर-987(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- राज्य योजना आयोग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।